

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

उपायुक्त, भिवानी।

क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/36084 दिनांक: 07/5/2015.

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के प्रयोजनार्थ जिला भिवानी की नव गठित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना तथा पंचों की सीट के निर्धारण आदेश का प्रेषण।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 104/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015, संख्या का0आ0 106/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015 जिससे ग्राम पंचायत पिचोपा कलां से बिन्द्रावन तथा ग्राम पंचायत डूडीवाला किशन पुरा से डूडीवाला नन्दकरण के नाम से अलग ग्राम पंचायत बनाई गई है, तथा इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/558 दिनांक 05.05.2015, आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/553 दिनांक 05.05.2015 द्वारा सीट निर्धारण की गई है, की एक-एक प्रति भेजकर अनुरोध है कि इसकी वार्ड बन्दी आदि का समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला को अवगत करवाते हुए इस विभाग को सूचित करें।

संलग्न:- अधिसूचना/उक्त आदेश।

*Anuul Koomr*  
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़। *RE*

पृष्ठांकन क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/36085-92 दिनांक: 07/5/2015.

इसकी एक-एक प्रति इस विभाग की अधिसूचना का0आ0 104/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015, संख्या का0आ0 106/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015 तथा आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/558 दिनांक 05.05.2015, आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/553 दिनांक 05.05.2015 निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, सैक्टर 17, प्लॉट नं0 2 पंचकूला।
2. समस्त उप मण्डल अधिकारी (ना0), भिवानी, तोशाम, दादरी, लौहारू तथा सिवानी।
3. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, भिवानी।
4. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, बाढ़डा।

*Anuul Koomr*  
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़। *RE*

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 104/ह0अ0 11/1994/धा0 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत पिघोपा कलां, खण्ड बाढ़ड़ा, जिला भिवानी के सभा क्षेत्र से गांव बिन्द्रावन के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित बिन्द्रावन के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
बाढ़ड़ा	भिवानी	बिन्द्रावन (हदबस्त संख्या 14)	बिन्द्रावन

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

**Notification**

The 30th April, 2015

**No. S.O. 104 /H A 11/1994/S. 8 & 7/2015** .—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 7 read with Sub-section (1) of Section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Bindraban from the sabha area of Gram Panchayat Pichopa Kalan, block Badhra, district Bhiwani and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Bindraban as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

**SCHEDULE**

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Badhra	Bhiwani	Bindraban (Hadbast No. 14)	Bindraban

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 5 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए07-2015/558.-ग्राम पंचायत पिचोपा कला के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए07-2014/607 दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला भिवानी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है.-

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क0 सं0	खण्ड नाम	का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति महिलाओं सहित)	हेतु अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	बाढ़डा	पिचोपा कला	12	4	2	1	1	6	
2	बाढ़डा	दिन्द्रावन	7	3	1	1	0	4	

नवराज सम्भु,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ10 106/ह0अ0 11/1994/घा0 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत झूडीवाला किशनपुरा, खण्ड बाढ़ड़ा, जिला भिवानी के सभा क्षेत्र से गांव झूडीवाला नन्दकरण के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमश खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित झूडीवाला नन्दकरण के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
बाढ़ड़ा	भिवानी	झूडीवाला नन्दकरण (हदबस्त संख्या 6)	झूडीवाला नन्दकरण

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

**Notification**

The 30th April, 2015

**No. S.O. 106 /H. A. 11/1994/S. 8 & 7/2015** .—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 7 read with Sub-section (1) of Section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Dudiwala Nandkaran from the sabha area of Gram Panchayat Dudiwala Kishanpura, block Badhara, district Bhiwani and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Dudiwala Nandkaran as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

**SCHEDULE**

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Badhra	Bhiwani	Dudiwala Nandkaran (Hadbast Number 6)	Dudiwala Nandkaran

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Development and Panchayats Department.

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 5 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए07-2015/553-ग्राम पंचायत झुडीवाला किशनपुरा के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए07-2014/607 दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला मिवानी की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है-

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति महिलाओं सहित) की	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	बाढ़डा	झुडीवाला किशनपुरा	11	4	2	1	1	5
2	बाढ़डा	झुडीवाला नन्दकरण	7	3	0	0	0	4

नवराज सन्धु,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग।